फा.सं. जेड.28015/2/07-डीएफक्यूसी
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 04 मार्च, 2016

रिक्ति परिपत्र

विषय : औषध एवं खाद्य प्रभाग में संविदा आधार पर परामर्शदाता की नियुक्ति।

एक वर्ष की अवधि के लिए पूर्णत: संविदा आधार पर एक परामर्शदाता को नियुक्त करने के लिए नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.सं.	पद	पात्रता	पदों की सं.	पारिश्रमिक	अपेक्षाएं
1.	परामर्शदाता	भारत सरकार के सेवानिवृत्त निदेशक/उप सचिव स्तर के अधिकारी, जिनकी आयु 65 वर्ष से कम हो। उन व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हों और जिनका औषधि एवं खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित मामलों में कार्य का अनुभव हो।	1	60,000/-रु. प्रतिमाह समेकित	भर्ती नियम तैयार करना/ संशोधन करना; इस विभाग के तहत आने वाले संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त निकायों से संबंधित सभी प्रशासनिक/ स्थापना संबंधी मामले। विभिन्न न्यायालय/प्रशासनिक अभिकरणों के नियमों तथा प्रक्रियाओं व प्रशासनिक परिपाटियों से संबंधित मामलों सहित न्यायालय से संबंधित मामलों को निपटना; जन-शक्ति योजना/ पुनर्गठन के प्रस्तावों को संसाधित/तैयार करना; भर्ती, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति से संबंधित मामले।

अपेक्षित योग्यता/अनुभव वाले 65 वर्ष से कम आयु के इच्छुक सेवानिवृत्त अधिकारी संक्षिप्त प्रोफाइल सहित अपने आवेदन 31 मार्च, 2016 तक अवर सचिव (औषधि), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं. 414-ए, डी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108 भेज सकते हैं। आवेदनों को drugsdiv-mohfw@gov.in पर ईमेल भी कर सकते हैं।

नोट : (1) आवेदकों की योग्यता और अनुभव के आधार पर चयन किया जाएगा। यदि आवश्यक होगा आवेदनों की जांच के पश्चात् एक साक्षात्कार भी लिया जा सकता है। आवेदकों को उनके आवेदन में दिए गए संपर्क ब्यौरे पर सूचित कर दिया जाएगा।

(2) आरंभ में यह संविदा नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे आकलन के पश्चात् आवश्यकता के अनुरूप समय-समय पर बढ़ाया जा सकता है।

(3) निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

रामगोपाल सिंह

(आर. जी. सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23063019